न्यायालयः— विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति (अ.नि.) अधिनियम प्रकरण, जैसलमेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी **विजय कोचर (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

सेशन प्रकरण संख्या—49/2019

राजस्थान राज्य **——परिवादी**

—बनाम—

1— प्रयागसिंह पुत्र कल्याणसिंह उम्र 55 वर्ष

2— उम्मेदसिंह पुत्र कल्याणसिंह उम्र 38 वर्ष

3— जेठूसिंह पुत्र कल्याणसिंह उम्र 40 वर्ष

सभी निवासीगण नग्गा, पुलिस थाना रामगढ, जिला—जैसलमेर।

——अभियुक्तगण।

अपराध अन्तर्गत धारा—341, 323 भा.द.सं. व धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।

उपस्थिति—

1. श्री टीकूराम गर्ग—विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।
2. श्री खूबाराम पंवार, विद्वान अधिवक्ता—परिवादी पक्ष की ओर से।
3. श्री कंवराजसिंह राठौड़, अधिवक्ता— अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक—19.08.2026**

01. हस्तगत प्रकरण का विचारण परिवाद पर संस्थित वारण्ट प्रकरण के तौर पर किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक—03.6.2017 को परिवादी भगवानसिंह ने मुल्जिमान प्रयागसिंह, उम्मेदसिंह व जेठुसिंह के विरूद्ध माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जैसलमेर के समक्ष धारा 156(3) दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत एक परिवाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी जैसलमेर में हिस्सा पांती पर काश्तकारी का कार्य करता है। परिवादी ने रबी की फसल में मजदूरी हेतु मुल्जिमान के खेत में काश्तकारी का कार्य फसल की तीसरे हिस्से पर लिया था। खेत में इसब, जीरा की कुल 20 बोरी फसल हुई, जिन्हें निकालने के बाद मुल्जिमान के कहा इन्हें पास ही पड़ौसी मुरबे

इन्द्रसिंह के मुरबे में रखवा दो जिस पर परिवादी द्वारा उक्त फसल को इन्द्रसिंह के मुरब्बे पर रख दिया। दिनांक 25.4.17 को परिवादी द्वारा अपना हिस्सा मांगने की बात की तो जातिसूचक गालियां निकालते हुए कहा भंगी चमार साले ढेड काण्डे तुझे अब कुछ नहीं मिलेगा, भाग जा यहां से। उसके साथ मारपीट की जिससे उसकी दाहिनी पसली पर लात मारी जिससे अंदरूनी चोट आई है तथा उक्त घटना में उसकी पत्नी सोमा व राजेन्द्र कुमार ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया नहीं तो मुल्जिमान उसके साथ ज्यादा मारपीट करते। उक्त घटना की रिपोर्ट उनके द्वारा पुलिस थाना रामगढ में की लेकिन अप्रर्थीगण के विरूद्ध कोई नहीं हुई। अप्रार्थीगण खुले आम एलानियां धमकियां दे रहे हैं कि तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देंगे तथा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुल्जिमान आपराधिक प्रवृति के लोग हैं तथा राजनैतिक एप्रोचवाले हैं, जिसके चलते पुलिस थाना रामगढ में दिए गए प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः मुल्जिमान के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर परिवादी को न्याय दिलावें।

02. उक्त परिवाद पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा जांच साक्ष्य में धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत परिवादी/गवाह भगवानसिंह एवं धारा 202 दं.प्र.सं. के तहत गवाह श्रीमती सोमा के बयान लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात परिवाद पत्र मय न्यायालय द्वारा जांच साक्ष्य के दौरान लेखबद्ध किये गये गवाहान के बयान अग्रिम जांच कार्यवाही हेतु धारा 202 दं.प्र.सं. के तहत पुलिस उप अधीक्षक (एससी/एसटी सेल) को प्रेषित किये जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं तदुपरांत इस न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर आदेश दिनांक 23.5.2019 के द्वारा अभियुक्तगण प्रयागसिंह, उम्मेदसिंह व जेठूसिंह के विरूद्ध धारा 341, 323 भा.द.सं. व 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आदेश दिया गया।

03. अभियुक्तगण प्रयागसिंह, उम्मेदसिंह व जेठूसिंह के न्यायालय के उपस्थित होने के पश्चात बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 341, 323 भा.द.सं. व धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया समझाया गया, जिस पर आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू–1 स्वयं परिवादी भगवानसिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में कोई भी दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य के आधार पर मुलजिमान को धारा–351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें मुल्जिमान ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया एवं स्वयं का निर्दोष होकर उन्हें झूठा फंसाया जाना कथन किया। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

06. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने तर्क दिया कि परिवादी मजदूर एवं काश्त पेशा व्यक्ति है तथा परिवादी ने अपने परिवार के भरण पोषण हेतु अभियुक्तगण का खेत फसल की तीसरी हिस्सेदारी पर काश्त हेतु लिया था एवं जब फसल तैयार होकर कटाई हुई एवं परिवादी ने अभियुक्तगण से अपने हिस्से की फसल मांगी तो अभियुक्तगण ने परिवादी को उसके हिस्से की फसल नहीं दी एवं परिवादी को लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया। परिवादी ने अपनी साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पूर्णतः पुष्टि की है एवं पत्रावली पर प्रस्तुत परिवादी की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति के विरोधाभासों को छोड़कर पूर्णतः अखण्डनीय रही है। अतः उन्होने पत्रावली पर आयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध कर दंडित करने का निवेदन किया।

07. इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी के तर्कों का विरोध करते हुए जाहिर किया कि परिवादी एवं अभियुक्तगण के बीच फसल की हिस्सेदारी के आधार पर कोई काश्तकारी तय नहीं की गई थी, बल्कि परिवादी को उसकी मजदूरी का मानदेय तय करते हुए काश्त हेतु रखा गया था लेकिन परिवादी द्वारा अभियुक्तगण से फसल में हिस्सेदारी की अनुचित मांग की गई जिससे अभियुक्तगण द्वारा द्वारा इंकार करने पर दोनों पक्षों के बीच हुई बोलचाल को परिवादी द्वारा अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध के रूप में पेश किया गया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान परिवादी की पत्नी सोना एवं परिवादी के साथ काश्त करने वाले राजेन्द्र को साक्षी के तौर पर न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है।

उन्होने यह भी जाहिर किया कि अभियुक्तगण एवं परिवादी के बीच विवाद का मुख्य कारण फसल की हिस्सेदारी अथवा काश्त की मजदूरी के लेनदेन था, न कि परिवादी का किसी जाति विशेष से संबंधित होना था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को लोकदृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित, अभित्रस्त अथवा प्रपीड़ित करने का किसी भी प्रकार का आशय होना गंभीर संदेह के दायरे में आ जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी जाहिर किया कि स्वयं परिवादी भगवानसिंह के कथनों में ही गंभीर प्रकृति के विरोधाभास हैं। उक्त तर्कों के आधार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

08. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु हैं कि–

1. क्या दिनांक 24–25.4.2017 को किसी समय सरहद मौजा 31 बी वाला खाला माईनर में अभियुक्तगण प्रयागसिंह, उम्मेदसिंह व जेठूसिंह ने परिवादी भगवानसिंह का सदोष अवरोध किया एवं उसके साथ कुंदाला से मारपीट कर उसके स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की ?

2. क्या अभियुक्तगण ने परिवादी भगवानसिंह को लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक गालियां निकाली तथा लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर उसे अपमानित करने के आशय से उसका साशय अपमान किया व साशय उसे अभित्रस्त किया ?

3. यदि हां, तो अभियुक्तगण किस दण्ड के दायी होंगे ?

09. अब यदि विचारणीय प्रश्नों के संदर्भ में पत्रावली पर अवस्थित साक्ष्य को देखें तो परिवादी भगवानसिंह पी.डब्लू–1 के रूप में परीक्षित होते हुए अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर करता है कि "पहले जेठूसिंह, प्रयागसिंह की जमीन थी जो 31 वाले खाले पर थी। दिनांक 16.07.2017 से दो तीन महीने मैंने मुरब्बा काश्त पर तीसरी पांति पर ली थी जिसमें सब खर्चा मुलजिमों का और मेरी मजदूरी से तीसरी पांति तय हई थी। उसके बाद मैं खेती करता रहा और जमीन की देखभाल करता रहा। खेती में एक बार मैं नहर का पानी पिला रहा था, पीछे मोगा बंद होने के कारण पानी मैं जमीन को कम पिला सका तो उन्होंने एक बार मेरे

साथ लडाई थी। फिर प्रयाग सिंह व जेठू सिह एक बार मुझे पानी लगाते को रात को मेरे साथ लाठियां लेकर पीछे भागे और गाली गलौच करने लगे और कहा कि ढेढ, चूड़ा, चमार तुझे जमीन नहीं देंगे तो मैंने तुरंत जेठूसिंह के भाई इन्द्रसिंह को मोबाइल से सूचना दी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। फिर इंद्र सिंह ने उन्हें वापिस बुला लिया और मुझे खेत को पानी पिलाने को कहा। फिर उन्होने कहा कि सुबह चार आदमी इकट्ठे करके फैसला करेंगे। फिर सुबह उन्होने चार आदमी बुलाकर पंचायती में फैसला किया कि आगे से ऐसा कोई नुकसान कोई नहीं पहुंचायेगें और आगे से कोई गाली गलौच भी नहीं होगा, आप दुबारा खेती करने लग जाओ। उसके बाद हमने शांतिपूर्वक फसल उगाई व काटी और निकाल कर 20 बोरी ईसब की फसल इंद्र सिंह के मुरब्बे पर बारिश से बचाने के लिए रख दी और उन्होने कहा कि सुबह आपको आपकी पांति दे देंगे। मुझे उन्होने फसल कटाई के लिए 11,000 /– रूपये दिये थे तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे 11,000/– रूपये नहीं चाहिये, आप तो मुझे मेरी पांति की फसल दे दो। फिर इंद्र सिंह, प्रयाग सिंह, जेठू सिंह उसी रात सारी फसल उठाकर अपने गांव नग्गा ले गये। फिर मैंने उन्हें फोन किया और उनके फोन न उठाने पर मैं मोटरसाईकिल लेकर उनके गांव चला गया। फिर वहां वे लोग वहां मुझे गाली गलौच करने लगे और जातिसूचक गालियां निकालकर अपमानित कर वहां से भगा दिया और कहा कि आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, यहां से चले जाओ वरना आपको मार देंगे। फिर मैंने पड़ोसियों को भी कहा कि मेरा हिसाब करवाओ और खेत वापिस चला गया। शाम को वे लोग खेत आये और कहा कि आप यहां से निकल जाओ, फिर मैं अड़ा रहा और निकला नहीं तो उन्होने मेरे साथ लाठी डण्डों से मारपीट करना व जातिगत गाली गलौच करना शुरू कर दिया और कहा कि अगर यहां से नहीं निकला तो जान से मार देंगे। फिर वे गालियां निकाल रहे थे चूड़े, ढेढ़, बावरिया यहां से भाग जा नहीं तो तुझे मार देंगे। फिर राजेंद्र और उसकी घरवाली ने उनसे बीचबचाव कर मुझे बचाया। फिर मैंने अपना सामान उठाया और मेरा भाई रामस्वरूप जो पास ही अजबाराम के खेत में काश्त कर रहा था, वहां चला गया। फिर मैं रामगढ़ थाने गया और अपराध के बारे में लिख कर दिया तो मेरी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही डॉक्टरी हुई और न ही मुकदमा दर्ज हुआ। फिर मैंने प्राईवेट दर्द की दवाईयां ली। फिर थोड़ा सही होने के बाद मैं जैसलमेर कोर्ट में आया और अपराध के बारे में बताया और कोर्ट में पेश हुआ।"

10. उक्त गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में घटना दिनांक 16.7.2017 को घटित होने की बात कहता है जबकि गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश परिवाद के पैरा संख्या 02 में यह जाहिर किया गया है कि दिनांक 25.4.2017 को जब उसने 20 बोरी इसब जीरे की फसल में से अभियुक्तगण से अपना हिस्सा देने की बात कही तो अभियुक्तगण ने उसे जातिसूचक गालियां निकालते हुए उसका हिस्सा देने से मना कर दिया एवं उसके साथ मारपीट की जिससे उसके अंदरूनी चोटें आई। गवाह के अनुसार उसकी पत्नी सोमा व किसी राजेन्द्र कुमार ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया, नहीं तो अभियुक्तगण उसके साथ ज्यादा मारपीट करते।

11. जहां परिवाद के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी के साथ कथित गाली गलौच व मारपीट की घटना किसी इन्द्रसिंह के खेत पर हुई थी, वहीं इस गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये सशपथ कथनों के अनुसार जब वह अपनी फसल की पांती लेने अभियुक्तगण के गांव गया, तब वहां उसे गाली गलौच कर एवं जातिसूचक गालियां निकालकर अपमानित कर वहां से भगा दिया एवं इसके पश्चात जब वह अपने खेत पर वापिस आ गया तब अभियुक्तगण ने उसे वहां से निकल जाने का कहा तथा उसके अड़े रहने पर उन्होने उसके साथ लाठी डण्डों से मारपीट की। गवाह की साक्ष्य में इस आशय के विरोधाभास के अतिरिक्त एक अन्य विसंगति यह भी है कि उसने अपने मुख्य परीक्षण के कथनों में यह जाहिर किया है कि अभियुक्तगण ने फसल कटाई के लिये उसे 11000/– रूपये दिये थे तथा गवाह का यह कहना था कि उसे 11000/– रूपये नहीं बल्कि अपनी पांति की फसल चाहिए, वहीं इस 11000/– रूपये दिये जाने के प्रस्ताव अथवा दिये जाने के संबंध में गवाह के परिवाद में किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है।

12. परिवादी भगवानसिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश परिवाद का एक आधारभूत तथ्य यह भी है कि उसने अभियुक्तगण के खेत में काश्तकारी का कार्य फसल के तीसरे हिस्से पर लिया था। इस संबंध में इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह जाहिर किया है कि उसके पास इस तथ्य की कोई लिखापढी नहीं है। वह अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी जाहिर करता है कि उसे नहीं पता कि जिस खेत पर पांती लेकर वह काश्त करना बता रहा है, उसका स्वामी कौन था। उसके अनुसार मौके पर अभियुक्तगण काश्त कर रहे थे। खेत में पानी लगाने की बात को लेकर हुए विवाद के संबंध में परिवादी भगवानसिंह द्वारा अपने मुख्य

परीक्षण में किये गये कथनों बाबत अपने प्रतिपरीक्षण में यह जाहिर करता है कि अभियुक्तगण ने उसे पर्ची बनाकर दी थी जिसमें लिखा था कि पानी कब पिलाना है तथा वह पर्ची अब उसके पास नहीं है।

13. अभियुक्तगण की मारपीट से अपनी पत्नी के साथ–साथ जिस राजेन्द्र द्वारा स्वयं को छुड़ाये जाने की बात गवाह की साक्ष्य में कही गई है, उस राजेन्द्र के बारे में इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में जाहिर किया है कि वह राजेन्द्र विश्नोई को जानता है, वह उसके साथ उसी मुरब्बे पर काश्त करता था तथा उसे खाना गवाह वगैरह ही खिलाते थे। गवाह इस सुझाव को गलत बताता है कि उसकी लड़ाई राजेन्द्र विश्नोई के साथ हो।

14. कथित मारपीट में स्वयं के चोटिल होने के संबंध में प्रतिपरीक्षण में कथन करते हुए गवाह जाहिर करता है कि उसका कोई मेडिकल नहीं हुआ, वह सरकारी अस्पताल गया था लेकिन सरकारी अस्पताल वालों ने उसका इलाज नहीं किया और कहा कि पुलिस कहेगी तभी इलाज करेंगे, वह रामगढ के सरकारी अस्पताल गया था, फिर वह जैसलमेर के सरकारी अस्पताल गया था, वहां भी अस्पताल वालों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था।

15. रामगढ सरकारी अस्पताल एवं जैसलमेर के सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा परिवादी के चोटिल होने के बावजूद उसका इलाज करने से मना कर दिये जाने का तथ्य सहजता से विश्वास किये जाने योग्य नहीं है, ऐसे तथ्य की पुष्टिकारक साक्ष्य देना आवश्यक है। परिवादी भगवानसिंह ने न्यायालय के समक्ष पेश परिवाद में सरकारी चिकित्सकों द्वारा स्वयं का इलाज नहीं किये जाने की कोई शिकायत नहीं की है। उसने न्यायालय के समक्ष पेश परिवाद के जरिये अभियुक्तगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है। न्यायालय के स्तर से परिवाद की जांच के क्रम में जब इसे धारा 202 दं.प्र.सं. के तहत अनुसंधान हेतु पुलिस उप अधीक्षक अनु.जाति/अनु. जनजाति प्रकोष्ठ, जैसलमेर को प्रेषित किया गया तो उनके द्वारा बाद अनुसंधान न्यायालय के समक्ष पेश रिपोर्ट में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये गये। पत्रावली में संलग्न इस अनुसंधानिक नतीजे का अवलोकन करें तो अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा परिवादी भगवानसिंह के साथ–साथ किसी रामस्वरूप पुत्र जीतसिंह, परिवादी की पत्नी श्रीमती सोमा एवं किसी राजेन्द्र कुमार पुत्र जीयाराम से तफ्तीश की गई थी तथा परिवादी के साथ–साथ इन व्यक्तियों से की गई

तफ्तीश पर अनुसंधान अधिकारी का अनुसंधानिक नतीजा आधारित था। इन गवाहान में से श्रीमती सोमा परिवादी भगवानसिंह की पत्नी है तथा राजेन्द्र कुमार पुत्र जीयाराम को परिवादी भगवानसिंह ने अपना सहकाश्तकार बताया है। परिवादी इन व्यक्तियों को अन्वीक्षा के दौरान परीक्षित करने में असफल रहा है।

16. निर्णय में उक्त वर्णित अनुसार परिवादी के अभियुक्तगण के खेत पर हिस्सा पांति की ऐवज में काश्तकार होने के संबंध में किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में निर्णय में ऊपर इंगित किये गये विरोधाभासों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में परिवादी के लिये स्वयं अपने अतिरिक्त अपने आरोपों की पुष्टि के लिये उन गवाहान को अन्वीक्षा के दौरान परीक्षित करना आवश्यक था जिन्हें वह स्वयं न्यायालय के समक्ष पेश करने में सक्षम था। इसके बावजूद परिवादी भगवानसिंह ने अपनी पत्नी सोमादेवी एवं अपने सहकाश्तकार राजेन्द्र कुमार को अपने गवाहान के रूप में परीक्षित करने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है। इन स्थितियों में जहां कथित गाली गलौच व मारपीट के सही समय एवं स्थान को लेकर ही विरोधाभास है, वहीं युक्तियुक्त संदेहों के दायरे से बाहर जाकर इस न्यायालय के लिये किसी नतीजे पर पहुंचना इस वजह से भी संभव नहीं है कि परिवादी अभियुक्तगण के साथ हुए विवाद की वास्तविक प्रकृति एवं इसके कारण सुस्पष्ट तरीके से न्यायालय के समक्ष रखने में सफल नहीं रहा है। उसने न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक किये गये अपने कथनों में इस बात का जिक्र किया है कि अभियुक्तगण ने उसे उसके द्वारा की गई काश्त की ऐवज में 11000/– रूपये देने का प्रस्ताव दिया था जो परिवादी को स्वीकार्य नहीं था परंतु अपने परिवाद में उसने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है। परिवादी युक्तियुक्त संदेहों के दायरे से बाहर जाकर यह साबित करने में सफल रहता प्रतीत नहीं होता कि उसके साथ कथित घटना कब, कहां एवं किन वास्तविक कारणों से हुई थी।

17. जहां तक अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को लोकदृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित करने के आशय से उसके साथ जातिगत गाली गलौच किये जाने के तथ्य का प्रश्न है, स्वयं परिवादी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसके एवं अभियुक्तगण के मध्य खेत में पानी पिलाने को लेकर अथवा हिस्सा पांती को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से कथित तौर पर अभियुक्तगण ने उसके साथ एक से अधिक बार न केवल गाली गलौच किया बल्कि

अंत में मारपीट भी की। परिवादी के मुख्य परीक्षण के कथनों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि खेत में पानी पिलाने की बात को लेकर हुए किसी विवाद के पश्चात अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ कथित तौर पर जाति आधारित गाली गलौच किया था, परंतु अभियुक्तगण के भाई इन्द्रसिंह की पहल पर इस कथित घटना के अगले दिन हुई पंचायती में दोनों पक्षों के बीच आपस में सुलह हो जाने की बात भी सामने आई है। इस कथित गाली गलौच के बारे में तत्समय परिवादी भगवानसिंह ने कहीं कोई शिकायत नहीं की थी। यह परिस्थिति न्यायलय के मन में सहज इस संदेह को जन्म देती है कि यदि परिवादी एवं अभियुक्तगण के मध्य किन्हीं अवसरों पर कोई ऐसा विवाद हुआ भी था जिसमें अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ गाली गलौच किया था तो अभियुक्तगण द्वारा ऐसा किन्हीं अन्य कारणों से नहीं किया जाकर परिवादी को किसी लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर साशय अपमानित करने के आशय से ही किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने अपनी साक्ष्य में यह जाहिर करने का प्रयास किया है कि अभियुक्तगण के स्तर से हुई कथित मारपीट में उसे ऐसी चोटें कारित हुई थी जिनके उपचार की आवश्यकता थी, परंतु रामगढ सरकारी अस्पताल एवं जैसलमेर स्थित सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार ही नहीं किया गया। इस प्रसंग के घटित होने के आसपास परिवादी द्वारा न्यायालय समेत किसी भी स्तर पर सरकारी चिकित्सकों के इस आचरण की किसी भी प्रकार की शिकायत किये जाने क तथ्य के अभाव में किसी पुष्टिकारक साक्ष्य के बगैर परिवादी द्वारा कही गई इस बात पर भी सहजता से विश्वास करना संभव प्रतीत नहीं होता।

18. उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में परिवादी द्वारा पेश की जा सकी साक्ष्य के विश्लेषण के उपरांत अभियुक्तगण को आरोपित सभी अपराधों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प प्रतीत होता है।

आदेश

19. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण प्रयागसिंह पुत्र कल्याणसिंह उम्र 55 वर्ष, उम्मेदसिंह पुत्र कल्याणसिंह उम्र 38 वर्ष, जेठूसिंह पुत्र कल्याणसिंह उम्र 40 वर्ष सभी निवासीगण नग्गा, पुलिस थाना रामगढ, जिला–जैसलमेर को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 भा.द.सं. व धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर आजाद हैं। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत

मुचलके निरस्त किये जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481 के तहत प्रत्येक मुलजिम के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके राशि रूपये 25,000–25,000/–के आगामी छः माह तक अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगे।

(विजय कोचर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अनु.जाति/जनजाति (अ.नि.), मामलात,
जैसलमेर।

20. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक–19.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कोचर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अनु.जाति/जनजाति (अ.नि.), मामलात,
जैसलमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.20 10:14:57 IST